the Coinage (Standard Weight and remedy of the coins of two rupees containing copper 75 per cent and nickel 25 per cent) Rules, 1984 (Hindi and English versions) published in Notification No. S O. 1904 in Gazette of India dated the 16th June, 1984, under sub-section (3) of section 21 of the Coinage Act. 1906. [Placed in Library. *See* No. LT. 8518/84].

Notification under Export (Quality control and Inspection) Ast, 1963

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A SANGMA) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of senction 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 :

(1) The Export of De-oiled Rice Bran Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1984 published in Notification No. S.O. 1567 in Gazette of India dated the 12th May, 1984.

(2) S,O. 1568 published in Gazette of India dated the 12th May, 1984 containing corrigendum to Notification No. S. O. 3683 dated the 1st October, 1983.

(3) The Export of Cumin Seeds (Quality Control and (Inspection) Amendment Rules, 19 4 published in Notification No S.O. 1572 in Gazette of India dated the 12th May. 1984.

[Placed in Library. *See* No. LT 8519/84]

PARLIAMENTARY COMMITTEES — SUMMARY OF WORK

SECRETARY-GENERAL : I lay on the Table a copy of the 'Parliamentary Committee—Summary of Work' (Hindi and English versions) pertaining to the period 1st June, 1983 to 31st May, 1984.

[Placed in Library. *See* No. LT. 8520/84]

———

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha :

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 1st August, 1984, agreed without any amendment to the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1984, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd July, 1984."

———

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

Twenty-Sixth Report

SHRI R. S. SPARROW (Jullunder) : I beg to present the Twenty-sixth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : A general discussion on communal riot's is coming before the House.

———

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Devastating floods in various parts of the country resulting in heavy loss of human lives, crops and property and the relief measures taken by Government

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का

ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़ों के आने, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन, फसलों और सम्पत्ति की भारी हानि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा किये गये राहत कार्य।"

12.16 hrs.

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : This year the south-west monsoon broke out slightly earlier than the scheduled date of 1st June, in Kerala. Initially, it was very active and at times vigorous, almost throughout the coast of Arabian Sea as well as in Himalayan and sub-Himalayan regions of the country thus resulting in floods in some parts of Kerala, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Tripura and Assam. Rains have been persisting in the Himalayan and sub-Himalayan regions for some time now.

2. According to the latest information available, 13 States. namely, Assam, Bihar, Kerala, Meghalaya, Maharashtra, Manipur, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Haryana, Karnataka and Gujarat are reported to have been affected by floods and heavy rains in varying degrees. As per information made available by the State Goverements, 97 districts covering a population of 170.55 lakhs and spread over an area of 33.98 lakh hectares are reported to have been affected by floods so far. The total cropped area reported to be affected is 11.04 lakh hectares; the number of houses damaged 4,07,824, human lives and cattle head lost 324 and 2,515 respectively.

3. Adequate relief measures were taken by the States to give help and succour to the affected people. The help of Army was also requisitioned in the States of Assam, Bihar, Tripura and West Bengal for rescue and relief operations.

4. All the States have margin money at their disposal to meet the relief expenditure and only when it is likely to be more than the margin money available with them, the States request Government of India through a momorandum, for Central assistance. So far, only the States of Tripura, Kerala and Manipur have submitted their memoranda seeking Central Assistance. A Central Team has already visited the State of Tripura. Its report is being processed. A Central Team has also left for Kerala on 1st August, for an 'on-the-spot' study. The request of Manipur was to be considered in a meeting of Inter-Ministerial Group on 27. July, 1984 but this could not be done as the representative from Government of Manipur did not turn up in spite of notice for the meeting. Pending the visit of the Central Team, Rs. 5.00 crores have been sanctioned to the Government of Kerala as a ways and means advanced on 'ad-hoc' basis to meet the emergent expenditure. Similarly, Rs. 3.00 crores have been sanctioned to the Government of Tripura on 'ad-hoc' basis pending the sanction of the ceiling of Central assistance. Rs. 7 00 lakhs to Uttar Pradesh, Rs 10 00 lakhs to Bihar and Rs. 5.00 lakhs each to the States of Assam, Kerala and Tripura have also been sanctioned by the Prime Minister from her National Relief fund for helping the affected people. No other request from any to State for any type of Central assistance has been received so far.

5. I shall also like to inform the Hon'ble Members that on the 11th July, 1984 the contingency plans prepared by different States to meet natural calamities were reviewed in the Ministry of Agriculture. This meeting was attended by the Relief Commissioners of different States and the representatives of Central Ministries concerned. The States informed us that they have drawn up contingency plans to meet any eventuality arising from natural calamities.

[Shri Yogendra Makwana]

6. I would like to assure the Members that suitable action shall be taken on receipt of any request for Central assistance from the affected States.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रति-वर्ष हम लोग इसी प्रकार सदन में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रश्न उठाते रहे हैं और सरकार की तरफ से एक रुटीन रेप्लाई दे दिया जाता है। प्रश्न यह है कि जब प्रति वर्ष विभीषिका से करोड़ों लोग तबाह होते हैं और उनके सामने आवास, आहार और चिकित्सा आदि की समस्यायें खड़ी हो जाती है, तो सरकार बाढ़ की स्थायी रोक-थाम के लिए कौन सी योजना बनाने पर विचार कर रही है। केवल इस प्रश्न को यहां उठा देने से और सरकार का जवाब पा लेने से न हम और न बाढ़ से प्रभावित जनता संतुष्ट हो सकती है। बहुत से क्षेत्रों में सरकार प्रभावशाली ढंग से काम कर सकती है, लेकिन कौन सी रुकावटों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर प्रकाश डालें।

इस समय आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल में बाढ़ का भीषण प्रकोप हैहू। सरे राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल त्रिपुरा, केरल और मणिपुर ने केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। मुझे आशा है कि बाकी राज्य सरकारें भी अपने ज्ञापन जल्दी भेज देंगी। लेकिन केन्द्रीय सरकार को पहले से ही उनको सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकारों के पास कुछ कांटिजेंसी फंड होता है, लेकिन उसका उपयोग समय पर नहीं होता।

आज स्थिति बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र गोरखपुर में घाघरा, राप्ती, रोहिन, आमी, कुआनो, बड़ी गंडक नदियां और उनकी सहायक नदियां बहती हैं। उनमें बाढ़ आने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और मुख्य रूप से जहां गंगा, घाघरा और उनकी ट्रिब्युटरीज बहती है, भीषण तबाही होती है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, देवरिया, बहराइच और बस्ती आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले भीषण बाढ़ से तबाह हो रहे हैं। वहां गांवों में पानी घुस गया है और लाखों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहा पर लोग सड़कों, तटबंधों और पेड़ों के नीचे आश्रय ले रहे हैं। अभी तक उनको ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था नहीं हो रही है।

मैं समझता हूं कि इसी तरह बाढ़ आती रहेगी, उसपर यहां चर्चा होती रहेगी, सवाल उठाए जाएंगे, सरकार की तरफ से जवाब आएगा, राहत के नाम पर थोड़ी बहुत चीजें बांट दी जाएगी और फिर आठ महीने तक लोग चुप रहेंगे। अगले वर्ष बाढ़ आने पर फिर यह प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी पता नहीं, क्यों सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ़ रही है। बाढ़ आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर देश के जल-साधनों, वाटर रीसोर्सिज, का सही ढंग से मैनेजमेंट किया जाए, तो बाढ़ की विभीषिका रुकेगी और साथ ही पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध हो जाएंगे। जिससे कि कृषि का उत्पादन आज जो कुछ भी है उससें कई गुना अधिक बढ़ सकता है जो कुछ आज हम खाद्यान्न सामग्री बाहर से मंगाते हैं, कम से कम उसका आना बंद हो सकता है। हम इस लायक हो सकते हैं कि अपने पड़ोसी देशों को खाने पीने की और बहुत सी चीजें

दे सकते हैं। साथ ही अगर जल संसाधनों का सही ढंग से नियंत्रण किया जाय तो इस से विद्युत उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो सकता है जिससे देश का औद्योगीकरण हो सकता है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा विद्युत की परियोजनाओं के माध्यम से हम अपने देश के कई करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं और पूरी बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। इसलिए जल संसाधनों पर नियंत्रण करना सरकार का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है। इस काम को करके हम एक साथ अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहले कुछ इस प्रकार की योजनाएं आई भी थीं, जैसे गारलैंड कैनाल स्कीम आई थी जिस की चर्चा कई बार हुई कि अगर नदियों को तमाम नहरों से जोड़ दिया जाय तो सिंचाई के साधन मिलेंगे, साथ साथ उन पर बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा की जा सकेगी। बाढ़ रुकेगी, बिजली पैदा होगी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हमारे किसानों और खेतों को मिलेगा जिससे हमारे देश की भूख की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और बाढ़ की समस्या, इन तमाम समस्याओं का निराकरण हो जायगा।

प्रति वर्ष बाढ़ से हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, लाखों की संख्या में बेघरबार होते हैं और तमाम घर गिरते हैं। ये सारी चीजें हर साल होती हैं। जब तक इन के स्थायी समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किया जायगा तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी।

हमारे गोरखपुर जिले में घाघरा और राप्ती नदियों से बहुत बाढ़ आती है। गंडक नदी जो कि गोरखपुर के पूर्वी छोर से होकर देवरिया होते हुए बिहार में चली जाती है वह भी एक बड़ी खतरनाक नदी है। उससे भी लाखों एकड़ भूमि बरबाद हो जाती है और तमाम खेती को नुकसान पहुंचता है। राप्ती नदी के किनारे कुछ तटबंध बनाए जाने की योजना चल रही थी...

MR. DEPUTY SPEAKER : What about your own Constituency ? Don't forget your own Constituency, Gorakhpur.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Now I am coming to that particular part. I am not in a position to talk of the entire country. But, I have received some information and I want to place that information before the hon. Minister through you so that the hon. Minister may take note of it. It is not a matter which should be taken so lightly by the Government but Government, if I may say so, is taking it very lightly.

मैं कह रहा था कि राप्ती नदी के किनारे जो कि हमारे क्षेत्र से होकर बहती है...

MR. DEPUTY SPEAKER : The consensus of the House is that you must put your question now.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I want a reply from the hon. Minister.

राप्ती नदी के किनारे इस समय तटबंध बनाए जाने की योजना चल रही है.. ..

MR. DEPUTY SPEAKER : You should not speak irrelevantly. Irrelevancy should not enter into your speech.

SHRI HARIKESH BAHADUR : No. The problem is even though you have correctly understood me, the others have not What can I do ? That is why I have to repeat.

श्री हरिकेश बहादुर : मैं यह कह रहा था कि राप्ती नदी के किनारे जो तटबंध बनाने की योजना चल रही है यह बहुत

[श्री हरिकेश बहादुर]

वर्षों से चल रही है और अधूरी है। बहराइच से लेकर गोरखपुर तक जहां पर कि राप्ती नदी आगे बढ़कर घाघरा में मिलती है वहां पर तमाम हिस्सों में बांध बन गए हैं। लेकिन होता यह है कि तटबंध हर साल बनाए जाते हैं और टूट जाते हैं। बाढ़ के पहले कभी भी तटबन्ध का सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया जाता है। सरकार उस के लिए पैसे देती है, चाहे कम देती हो, अधिक देती हो लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसमें थोड़ा बहुत काम करके बाकी पैसे में बहुत घोटाला होता है। हर साल यही होता है। बांध टूटते रहते हैं और हर साल बनाए जाते हैं। उसमें कितने पैसे का घोटाला होता होगा इसका आसानी से आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर बाढ़ के पहले उसकी ठीक ढंग से मरम्मत कर दी जाय तो शायद यह स्थिति न हो लेकिन ऐसा लगता है कि इस विभाग में काम करने वाले लोग और खास करके अभियन्तागण चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति बनी रहे। तमाम जगह बाढ़ में जो तटबंध टूटते हैं उससे सैकड़ों गांव तबाह हो जाते हैं और कई गांव तो पानी में बह जाते हैं। तमाम लोगों की जानें भी जाती हैं लेकिन इन बातों की परवाह अभियन्ताओं को नहीं है। कम से कम हमारे क्षेत्र में और उसके इर्द-गिर्द के जिलों में तो हर साल यही हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कोठा-बढ़या-रिगौली बांध बनाने की नितान्त आवश्यकता है और इसकी ओर कई बार इस सदन में भी माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उस बांध को पूरा करा दिया जाए लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। यद्यपि उस क्षेत्र से कुछ कांग्रेस (आई) के विधायक भी हैं फिर भी पता नहीं क्यों उस बांध को पूरा नहीं किया जाता है। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से भी कहा और प्रधान मंत्री जी को भी मैंने इस संबंध में एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा की है परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आज तक मुझे उस पत्र का एकनालेजमेंट भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहा कि तमाम गांवों के लोग एक दरख्वास्त बनवाकर प्रधान मंत्री जी के पास भेजें। इन तमाम बातों के बावजूद उस काम को नहीं कराया जा रहा है। इसकी वजह से हर साल कई लाख लोगों के बाढ़ के समय भीषण संकट का सामना करना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि इस काम पर कोई अधिक खर्चा भी नहीं लगना है। केवल 40-45 लाख में ही नौ साढ़े नौ किलोमीटर बांध बनकर तैयार हो जायेगा। सरकार एन० आर० ई० पी० के नाम पर करोड़ों रुपए एक साल में दे देगी लेकिन अगर एन० आर० ई० पी० की रकम का एक बटा सौवां हिस्सा भी इस बांध को पूरा करने पर खर्च कर दिया जाए तो हर साल जो लाखों लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं उसकी नौबत न आए। इसके लिए सरकार पैसा क्यों नहीं देती है यह बात समझ में नहीं आती है।

उपाध्यक्ष जी, प्रति वर्ष बांध टूटते हैं और और जो बांध बनाने का काम चल रहा है उसको जानबूझकर कर पूरा नहीं किया जाता है। मेरा आग्रह है कि जो कोठा-बढ़या-रिगौली बांध है इसको दबाव डालकर पूरा कराया जाना चाहिए। हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से न कर रहे हों लेकिन

यह अनुचित है। मेरे क्षेत्र में बांध होने की वजह से मुझे नुकसान हो सकता है लेकिन मेरे ही क्षेत्र में दो विधान सभाई क्षेत्रों में कांग्रेस (आई) के विधायक भी हैं इसलिए मेरा नुकसान होने के साथ साथ उनका नुकसान भी हो सकता है। मालूम होता है राजनीतिक कारणों से, कि मुझे नुकसान पहुंचे, इसीलिए यह बांध नहीं बनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए कि नेपाल सरकार के साथ समझौता करके करनाली, मालू बांध और पंचेश्वर बांध की योजना को पूरा करे। इन बांधों के बन जाने से प्रति वर्ष घाघरा और राप्ती से जो तबाही हो रही है वह बंद हो जायेगी। आप नेपाल सरकार से बातचीत करके इस स्थिति को सुधार सकते हैं। नेपाल से आप का घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकते हैं, वहां आने जाने के लिए पास-पोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुःख इस बात का है कि अपने पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि वहां की सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाय लेकिन भारत सरकार पता नहीं किस वजह से कुछ नहीं कर रही है।

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : इस मामले में कई बार बताया है लेकिन आप इसी बात को बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं बार-बार कह रहा हूं क्योंकि बार-बार हर साल यही हाल होता है। अगर किसी भी वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है तो नेपाल सरकार को आपको कांफिडेंस में लेना होगा और अगर कांफिडेंस में नहीं लेते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार पूरी तरह से उजड़ जायेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप नेपाल से समझौता करके इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही करें। जैसे भी हो काम होना चाहिए। अगर साधारण रूप से ही आप इस मसले को लेंगे तो वहां के लोग हर साल तबाह होते रहेंगे।

अब मैं आपसे केरल के बारे में कहना चाहता हूं। मैं अभी वहां पर गया था और मुझे वहां की व्यापक रिपोर्ट मिली है। उस के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर सी-इरोजन, बाढ़, लैंडस्लाइड आदि से काफी नुकसान हुआ है। इसके बारे में आपको वहां की सरकार ने भी बताया होगा। 45 हजार मकान तो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और 65 हजार अर्द्धरूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। केरल की सरकार को केन्द्रीय सहायता चाहिए, इसके लिए उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। उसमें विस्तार से कहा गया है, 6.75 करोड़ मकानों के लिए, पार्शियल क्षतिग्रस्त के लिए 4.87 करोड़, मेडिकल रिलीफ के लिए 8 करोड़ और तमाम फसलें नुकसान हो गई है। नारियल, केले, रबड़, पेपर, जींजर आदि के कम्पैंसेशन के लिए उन्होने पैसे की मांग की है। मछली उद्योग और डेयरी उद्योग का भी भारी नुकसान हुआ है। नहरें टूट रही हैं, सड़कें टूट गई हैं, बंदरगाह को नुकसान हुआ है, इन सबके लिए उन्होंने पैसे की मांग की है। एक निवेदन यह भी है कि वहां राहत कार्य बड़ी तेजी से चलायें, ताकि वहां कुछ राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केन्द्रीय टीम किन-किन राज्यों में भेजी जाने वाली हैं, इस बारे में भी आप बतायें। मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय टीम तत्काल बाढ़ से प्रभावित राज्यों में

[श्री हरिकेश बहादुर]

भेजें, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्र जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है, वहां केन्द्रीय टीम जल्दी भेजी जानी चाहिए। तत्काल सहायता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्काल सहायता की तो आवश्यकता है ही।

हर साल मकान गिरते हैं और हर साल पैसा देने के लिए मांग की जाती है। उनको 100 रु०, 50 रु० दे दिया जाता है। जनता पार्टी के समय उनको दो सौ, चार सौ रुपया दिया जाता था, लेकिन जब से यह सरकार आई है, उनकी धनराशि कम हो गई है। पूरे तरीके से सहायता कम कर दी गई है।

मैं चाहता हूं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाए और अगर नहीं दी जा सकती है तो जल्दी से जल्दी बाढ़ को रोकने का प्रबंध करें। लेकिन जब तक आप बाढ़ को रोकने का प्रबंध नहीं करते हैं, तब तक आपको आर्थिक सहायता उनको देनी चाहिए। ताकि वे अपने मकानों को ठीक से बना सकें। यदि कुछ गांवों की पटाई करवा दी जाए तो बाढ़ से जो नुकसान होता है, वह नहीं होगा। रूरल इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट को यदि कोई काम दिया जाता है, तो वह आधा-चौथाई करके काम को पूरा कर देते हैं और पैसा पूरा ले लेते हैं। अपने क्षेत्रों का दौरा करके मैंने पाया कि बिल्कुल भी उचित ढंग से वहां काम नहीं हो रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं, जो नदियों के किनारे हैं और नदियों में कट कर गिर रहे हैं। उनको बसाने के लिए शीघ्र प्रबंध करना चाहिये। इसके लिए राज्य सरकारों को तत्काल निर्देश दिए जाने चाहिए। खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारे जिले के अन्दर राप्ती नदी के किनारे के गांव कट कर गिर रहे हैं। उनको बसाने के लिए प्रबंध करना चाहिए।

बाढ़ के प्रकोप के बाद बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। मलेरिया, एन्सीफ्लाइट्स, हैजा आदि बीमारियां शुरू हो जाती हैं। गोरखपुर में ब्रजमनगंज ब्लाक, जो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर हैजा से काफी लोग मर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मलेरिया से काफी लोग मर गए हैं। जब तक उनको दवाओं की सुविधा मिलेगी, तब तक शायद ही कोई उन लोगों में से जिंदा बचे। मैं चाहता हूं कि सरकार चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए उचित इंतजाम करने के कार्य करे।

साथ ही साथ जल-जमाव के कारण हो रही तबाही के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह समस्या भी एक बाढ़ की तरह से है। गंडक योजना से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए सिंचाई की सुविधा होती है। वहां नहरों के किनारे इतना जल जमा हो जाता है जिससे भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार ने अनेक सुविधायें दी हैं, सिंचाई की सुविधा दी है, खेती की स्थिति ठीक बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनके बावजूद जल-निकासी का वहां पर सही प्रबंध नहीं है। सारी खेती बाढ़ के पानी में डूब जाती है, बरसात भर वहां बाढ़ ही बाढ़ रहती हैं, इसलिये कोई फसल नहीं होती है।

गंडक परियोजना की नहरों के किनारे और साथ-साथ दूसरी जगहों पर जहां जल-जमाव की स्थिति है उससे निपटने के लिये

कोई प्रभावशाली कार्यवाही करें। अपने विशेषज्ञों को कहें कि वहां जा कर देखें कि जल-जमाव को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

भूमि संरक्षण, जंगल लगाना बहुत आवश्यक है। नदियों के कैचमेंट एरियाज में यह काम होना चाहिये। आप पेड़ लगाने की बात तो बहुत करते हैं लेकिन क्या काम हुआ है? लगता है एमर्जेन्सी के बाद आप लोगों को झटका लगा, उससे आपने सही काम भी करना बन्द कर दिया। उस समय परिवार नियोजन की अलग बात थी, लेकिन पेड़ लगाने की बात तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आप को कैचमेंट एरियाज में पेड़ लगाने चाहिय जिससे भूमि संरक्षण का काम हो।

नदियों का सिल्ट हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नदियों का सिल्ट तो दूर रहा, आप तो नहरों का सिल्ट भी नहीं हटा पा रहे हैं। राप्ती नदी के बारे में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने जो कहा है मैं उसकी दो लाइनें यहां पर कोट करना चाहता हूं—

> "The river Rapti carries heavy silt which deposits and aggravates the flood situation in the neighbouring areas."

यह बात नेशनल कमीशन आन फलड्स की रिपोर्ट में कही गई है। उसमें एक नदी विशेष के लिये अलग से चर्चा की गई है जिसमें कहा गहा गया है कि यह नदी सबसे ज्यादा सिल्ट लेकर आती है। हर साल यहां पर बात होती है कि सिल्ट हटाने की योजना चलायेंगे लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। हमारे यहां नहरों के अन्दर इतनी सिल्ट जमा हो गई है कि नहरें बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं। सिल्ट जमा हो जाने के कारण इन नहरों की गहराई कम हो गई है, आप का इन नहरों में पानी छोड़ने का एक शेड्यूल बना हुआ है कि इतना पानी छोड़ना है, चूंकि उनकी गहराई कम हो गई है, इसलिये उतना पानी छोड़ने से अधिक पानी खेतों में चला जाता है, जिससे फसल को नुकसान होता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात चल रही है। अगर हम अपने सिलेबस में 15 दिन इस तरह का काम कराने की व्यवस्था करें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं—दुनियां के अनेक देशों में ऐसा होता है। चीन का उदाहरण आपके सामने है

Sir, the hon Minister is just laughing and does not seem to be serious. (*Interruptions*). My point is that most of the things are related to irrigation. So, the Irrigation Minister should have been here. (*Interruptions*) I was saying when in neighbouring China we are doing this programme why we could not do it here also.

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Yes. I am on my last point.

सीपेज की समस्या के लिये अभी श्री रामलाल राही मुझे बतला गये हैं—उन्होंने 48 घटे पानी में बैठकर धरना दिया था। इन का सारा शरीर जोंक चाट गई थी, शरीर सफेद हो गया था। यह सीपेज की प्राबलम बहुत ज्यादा है और जैसा मैंने कहा था सात लाख हैक्टेअर से ज्यादा जमीन सारे देश में पानी में डूबी हुई है। 26 हजार

[श्री हरिकेश बहादुर]

हैक्टेअर जमीन तो उत्तर प्रदेश में डूबी हुई हैं, जिस में सीतापुर जिले में सब से ज्यादा है। सीपेज की वजह से नहरों के किनारे पानी जमा हो जाता है, इसके लिये कुछ कीजिये। खाली आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। जब कोई धरना देगा, अनशन करेगा या पानी में बैठेगा, तब तो कहेंगे कि हम करेंगे और ज्यों ही वह पानी से निकला, आप बदल जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री जी उनका उत्तर दें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ज्यादातर जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह बाढ़ कंट्रोल के लिए कहा है जोकि हमारी मिनिस्ट्री का काम नहीं और यह स्टेट सबजेक्ट है। यदि ये मुझ से पहले कुछ पूछ लेते, तो मैं इनको बताता कि काल्गि एटेंशन मोशन कैसे फ्रेम किया जाए, जिससे इर्रीगेशन मिनिस्ट्री जवाब देती।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr Harikesh Bahadur, if you had asked him earlier, he would have helped you in framing the Calling Attention.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, I could have guided him if he had contacted me. I would have helped him how to frame the Calling Attention.

जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का काम है, राहत देने की और रिलीफ देने की जो बात कही गई है, उसके बारे में हमारी मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है लेकिन जो बाढ़ कंट्रोल का काम है, वह इर्रीगेशन मिनिस्ट्री का काम है और 99 परसेंट से ज्यादा इन्होंने अपनी स्पीच में उसके बारे में कहा है। अभी मित्र जी आ गये हैं, जोकि इर्रीगेशन मिनिस्टर हैं, ये बाद में उन से पूछ लेंगे। (व्यवधान)...

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : इसको मजाक मत बनवाइये। अगर ये ही जवाब देंगे तो फिर आप बैठ जाइए।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मजाक कहां है। यही तो कहा है कि ये बाद में उनसे पूछ लें।

श्री मनी राम बागड़ी : आपकी मिनिस्ट्री का सवाल है और उन से पूछें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इन्होंने ज्यादातर अपनी स्पीच में बाढ़ कंट्रोल के बारे में कहा है। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : If everything is done according to the Rules there is no difficulty. According to the Rules, only one question should be asked in the Calling Attention and that question should be answered by the Government. But here the entire subject like irrigation, agriculture, food supply, etc. everything is discussed. How can a Minister reply to all these subjects ? Of course, you will be satisfied that you have raised all these issues But how can you expect the hon. Minister to reply to the questions which do not concern his Ministry ? If you make a speech on the Calling Attention, then I expect a speech from hon. Minister.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Sir, it is clearly mentioned here that it is to call the attention of the Minister of Agriculture to the situation arising out of the devasting floods in various parts of the country resulting in heavy loss of human lives, crops and property and the relief measures taken by the Government in the matter. If this is so, I have to refer to all these issues which are connected to the main issue.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then you should have asked for a discussion under 193 or something like that.

SHRI HARIKESH BAHADUR : In the BAC meeting, it was decided that this should be discussed only under Calling Attention. So, let the hon. Minister also say something about—irrigation and other things.

श्री योगेन्द्र मकवाना : उपाध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा था कि माननीय सदस्य ने जो बातें जाननी चाही हैं, वे हमारी मिनिस्ट्री की नहीं हैं लेकिन जहां तक रिलीफ मेजर्स की बात है, राहत देने की बात है और कितनी राहत देना चाहते हैं, उसके बारे में जो प्वाइंट उठाया है, उसका मैं जरूर जवाब दूंगा ।

पहले तो उत्तर प्रदेश प्रान्त की बात कही गई । उत्तर प्रदेश के पास 10 करोड़ 80 लाख रुपये मार्जिन मनी है और गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो सातवां फाइनेन्स कमीशन है, उसके मुताबिक जो प्रोसीजर बना है, उसमें जब तक उसके पास जो मार्जिन मनी है, उसका पूरा उपयोग न हो जाए, तब तक स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आती है । आज तक उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मेमोरेण्डम हमारे पास नहीं आया है न उनकी कोई मांग ही रिलीफ के लिए हमारे पास है । ऐसे कार्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतना पैसा होता है कि वे खुद काम संभाल सकते हैं । जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, जो डेमेज हुआ है, या लोग मर गये हैं, मकान गिर गये हैं, उनके लिए जो भी रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करने हैं, जो भी पैसा देना है उसके लिए राज्य सरकार से हमारे पास कोई मेमोरेण्डम नहीं आया है । इसलिए वहां कोई टीम भेजने का सवाल नहीं उठता है । टीम भेजने का सवाल तो उठता है जबकि वहां से कोई मांग आये । जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है वहां से कोई मांग नहीं आई है ।

जहां तक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का सवाल है, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिली है । इंटरनल मिनिस्ट्री लेवल पर उसको डिस्कस कर रहे हैं और राज्य सरकारों को इसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम सुझाव देना चाहते हैं ।

सोयल कंजर्वेशन और पेड़ लगने के बारे में एक बात कह रहा हूं । इसके लिए भारत सरकार की बहुत-सी स्कीमें हैं । सोशल फोरेस्ट्री के माध्यम से पैसा भी दिया जाता है, टेक्नीकल मदद भी दी जाती है । लेकिन हो यह रहा है कि हर जगह पेड़ काटे जाते हैं और खासकर के जहां से माननीय सदस्य आते हैं वहां ज्यादा काटे जाते हैं । इसको कभी रोकने का प्रयास किया ही नहीं गया । इसको करने की जरूरत है और पेड़ों को काटने से रोकने की जरूरत है । इसके अलावा ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है ।

जहां तक केरल की बात है, केरल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि केरल को 5 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर के फण्ड से दिया गया है और 5 करोड़ रुपया वेज एण्ड मीन्स एडवांस के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है । हमारी टीम भी केरल गई है । वह आकर रिपोर्ट देगी । उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी में उसको डिस्कस किया जाएगा । कितना पैसा देना है, उसको बाद में तय किया जायेगा । यह ठीक है कि केरल का काफी नुकसान हुआ है । जो समुद्र की दीवार थी, वह भी टूट गई है और अन्दर समुद्र आ गया है । उसके लिए पैसे

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा है कि फ्लड कंट्रोल के लिए इर्रीगेशन मिनिस्ट्री की योजनाएं बनती हैं। वहां बहुत सिल्टिंग हुआ है, उसको भी निकाला जाना है। यह भी इर्रीगेशन मिनिस्ट्री का काम है।

माननीय सदस्य ने जो कहा उसमें 99 परसेंट सब्जेक्ट्स इर्रीगेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं, एक बात हमारी मिनिस्ट्री की है। कितना पैसा देना है, कब टीम जाएगी, इसका जवाब तो मैंने दे दिया है।

SHRI HARIKESH BAHADUR : Sir, I need your protection. The questions which have been raised by me with regard to the Irrigation Department as also the flood situation need to be replied to by somebody. Unless proper replies come from the Government, what is the use of my raising all this ?...*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot direct a Minister to give a reply which you want...*(Interruptions)*. Under what rules can I direct him ?

श्री जगपाल सिंह : आप जब तक इर्रीगेशन मिनिस्टर को नहीं कहेंगे तब तक इस पर हमारे प्रश्नों का जवाब कैसे आयेगा।

(व्यवधान)

SHRI HARIKESH BAHADUR : If you are not directing the Irrigation Minister to answer my questions, I will walk out...*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot direct him. It is left to the Minister concerned. I cannot direct any Minister... *(Interruptions)*.

I can conduct the House only according to the rules. I cannot direct any Minister. The Member can ask for clarification and the Minister can reply. But if the Minister says that he has already replied, I cannot direct him further.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Do you want me to continue with this Calling Attention Motion or not ? Mr Harikesh, you have raised some questions and the Minister is going to reply. Why can't you listen to him ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI RAO BIRENDRA SINGH) : He has raised some specific questions about various projects and he has given suggestions about some flood protection measures in specific areas. Now, my Ministry is not in a position to say what the plan of the State Government is, what their future plans are, how much money the State Government has already spent on flood protection measures and what they are going to do for future. About the problems which the hon. member has in mind, he put a question with regard to the relief that we have to provide under certain regulations and pattern that we have adopted. Now, we have to the best of our ability.........

*(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Nadar, please. You are spoiling the whole thing. He is replying to Shri Harikesh and you cannot come in according to rules. No interruptions will be recorded in Calling Attention Motion.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH : If you kindly read the Motion :

> "Thie is to call the attention of the Minister of Agriculture to the situation arising out of the devastating floods in various parts of the country resulting in heavy loss of human lives, crops and property and the relief measures

*Not recorded.

taken by the Government in the matter."

*(Interruptions)

SHRI HARIKESH BAHADUR : Regarding Karnali, Bhalu Bandhu, and Pancheshwar, I want to know what measured are being taken............

*(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : He is replying. Please listen.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH : If you accept his contention, Sir, that means that I have to be prepared to answer questions about all the measures which the Irrigation Ministry of the States and the Irrigation Ministry of Centre are taking in every State and Union Territory of this large country. And that is not possible in a calling Attention Motion. The practice has been that the attention of a particular Minister is called to a matter of urgent public matter.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Absolutely correct, Sir.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH : The Ministry of Agriculture is concerned with this subject. If he wants to discuss patiently all the flood protection measures, what the Government intends to do, what has been done in the Sixth Five Year Plan, what is our intention about the allocations for the Seventh Five Year Plan, what are the States' Plans, etc., then he should ask for a discussion specially on flood protection measures and direct his questions to the Minister of Irrigation. It has to be a long discussion and enough time has to be given to serveral Members. Here fortunately, there are only five members, but in the Rajya Sabha on every calling attention motion as many as 15 members speak. If every member raises questions about his constituency, about every village in the country, about every river every *ala* in the country, then it is impossibie for a Minister to reply to all the questions. Therefore, we must stick to certain conventions and rules, We do not want to start a worng practice here.

SHRI HARIKESH BAHADUR : The Irrigation Minister is sitting here. He has to explain.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has already explained.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH : I can give a reply to all the points that he has raised. I do not want to do it because it will be a wrong practice.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now Shri B. D. Singh.

SHRI HARIKESH BAHADUR : Whatever questions we raise here, have to be replied to.

MR. DEPUTY SPEAKER : I make it very clear. Rule 197 says :

> "(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

SHRI HARIKESH BAHADUR : According to convention, we discuss Calling Attention Motions for two hours. I did not get a suitable reply from the Minister. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY SPEAKER : I am not permitting anybody except Mr. B. D. Singh.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I am walking out in protest.

(Shri Harikesh Bahadur then left the House)

MR. DEPUTY SPEAKER : If everybody acts according to rules, there is no difficulty Mr. B. D. Singh

*Not recorded.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह परम्परा रही है कि जो भी सुझाव किसी और मंत्रालय के संबंध में आते रहे हैं तो संबंधित माननीय मंत्रियों और मंत्रालयों के पास भेज दिए हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बात हम जानते हैं। जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां तक हमें मंजूर है। जितने सुझाव आते हैं, हम नोट करते हैं। दूसरे मंत्रालय को भी हम भेजते हैं और जहां तक हो सकता है, हम उसका जवाब माननीय सदस्य को अपनी तरफ से देते हैं या दूसरी मिनिस्ट्रीज देती है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि एक साथ दस मंत्रालयों के दस विषय डिसकस किए जाएं।

We always note down all the suggestions very carefully. We go into them. We write to State Governments, and we also send replies to Members.

श्री बी० डी० सिंह : हमारे देश में बाढ़ से बहुत भयावह क्षति हो रही है। किसी वर्ष बहुत ज्यादा और किसी वर्ष बहुत कम। प्राय: यह देखने में आया है कि प्रत्येक वर्ष क्षति हो रही है। प्रकृति का कुछ ऐसा प्रकोप है कि बाढ़ के साथ-साथ सूखा भी पड़ जाता है। इस समय आज हम बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं और उधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयानक बाढ़ आई हुई है। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, बांदा और आस-पास के जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। मैं अभी वहां से होकर आया हूं। यहां धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस प्राकृतिक प्रकोप से किसान बहुत प्रभावित हो रहा है जहां, वर्षा का पानी हमारे लिए वरदान हो सकता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहां य हमारे लिए लाभकारी न होकर अभिशाप बन चुका है। अनुमान है कि वर्षा से करीब 1440 मिलियन एकड़ पानी प्राप्त होता है जबकि हम केवल 220 मिलियन एकड़ ही उपयोग कर पाते हैं। शेष पानी समुद्र में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार नदियों में आ जाने से किसानों को काफी क्षति पहुंच रही है। बाढ़ को रोकने के लिए बहुत बातें कही जाती हैं। 1954 में नेशनल फ्लड् कंट्रोल प्रोग्राम चालू किया गया था। 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना हुई। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों के, मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से बाढ़ को रोकथाम के लिए रोकथाम के लिए सुनियोजित या वैल-प्लांड वे में शुरू से ही प्रयास नहीं हुए, जिसके कारण स्थिति भयानक होती चली गई। बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान का जब हम जायजा लेते हैं तो वर्ष 1983 में हमारे यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जब कि उससे पहले सरकार ने कई योजनाएं बाढ़ रोकने के लिए चलाई। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 2459 97 करोड़ रुपये का 1983 की बाढ़ में नुकसान हुआ जोकि 1951 से लेकर अब तक आने वाली बाढ़ों में सबसे ज्यादा है। हर साल बाढ़ की रोकथाम पर जो सरकार की ओर से व्यय हआ, उसके आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सरकार की ओर से जितना प्रयास होना चाहिए था वह नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना को छोड़कर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक कुल मिलाकर 976 करोड़ बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने व्यय किए। लेकिन जब नुकसान हर साल ज्यादा बढ़ने लगा तो सरकार को कुछ होश

आया और अब छठी पंचवर्षीय योजना मे 1045 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इन 1045 करोड़ रुपयों में से 870 करोड़ रुपया प्रांतीय सरकारों का है, जो उसको खर्च करेंगी। अभी जैसे आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार उन 870 रुपयों में से प्रांतीय सरकारें मात्र 617 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई हैं। यह राशि कुल राशि का 71 प्रतिशत बनती है। इसका मतलब हुआ कि अभी 30 प्रतिशत के लगभग व्यय नहीं हुआ है। कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं, जैसे तमिलनाडु में जहां 28 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए खर्च किया जाना था, लेकिन अब तक 6.75 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जो 24 प्रतिशत बनता है पश्चिमी बंगाल में 200 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 90.84 करोड़ रुपया ही व्यय हुआ है जो कि लगभग 45 प्रतिशत कुल राशि का बनता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जहां 1327 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यय होना था, वहां भी केवल 57.7 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है।

इन सब बातों को देखने से लगता है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यावहारिक दृष्टि से ठोस कदम नहीं उठाए गए। वैसे हमारे राव साहब कागजों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि हमने यह व्यवस्था कर दी। लेकिन जब केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों का आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक बाढ़ की आपदा से मुक्ति हमें नहीं मिल सकती।

जैसा मैंने पहले कहा, 1983 के साल में हमारे यहां बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद भी 463.35 करोड़ रु० सालाना के हिसाब से बाढ़ के कारण क्षति होती जा रही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि यह बाढ़ क्यों आती है, उसका कारण है कि हमारी नदियों में सिल्टिग हो रही है, जलाशयों, बांधों और वनों का कटान हो रहा है। मैं यहां उसके कारणों में जाना नहीं चाहता क्योंकि वह विषय सिंचाई मंत्रालय का हो जाएगा, जिस का उत्तर हमारे कृषि मंत्री जी न देना चाहें। लेकिन मैं कृषि से संबंधित ही दो-तीन प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण हमारे जंगलों का काटना है। मैं समझता हू कि जंगलात महकमे का काम भी हमारे माननीय मंत्री जी देखते हैं, वे बताये कि जंगलों के कटान को रोकने के लिए तथा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नये पेड़ लगाने की दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है तथा प्रांतीय सरकारें इस काम में क्या सहयोग दे रही हैं। आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इसके अतिरिक्त मेरी सलाह है कि फ्लड प्रोन एरियाज के लिए इंश्योरेंस योजना लागू की जाए। जहां पर फसलों का नुकसान होता है, पशुओं को नुकसान होता है, मकान गिरते हैं, लोग मरते हैं। इसलिए फ्लड प्रोन एरियाज में हमारे यहां करीब 40 मिलियन हैक्टर फ्लड प्रोन एरिया है और सरकार द्वारा कहा जाता है कि उसमें 11.10 मिलियन हैक्टर सुरक्षित हो गया है। मैं इसको नहीं मानता हूं। हर साल बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना में 2.5 मिलियन हैक्टर और सुरक्षित करेंगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इस लिये क्योंकि प्रांतीय सरकारों ने, जो धन-राशि सुरक्षित की गई थी इस प्रयोजन के लिये, उसको व्यय नहीं किया। तो कैसे काम चलेगा? इसलिये आंकड़ों पर मुझे विश्वास नहीं है।

[श्री बी० डी० सिंह]

इसलिये जो इतने बड़े पैमाने पर मकानों की क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है, जैसे 1983 में 3,275 पशु मरे, हर साल हजारों मरते हैं, फसलों को नुकसान होता है, इसलिए बीमा योजना इन क्षेत्रों में होनी चाहिये जिससे लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें कुछ ऐसी ऐग्रीकल्चरल प्रेक्टिसेज किसानों को बतानी चाहिए जिससे उन फसलों को किसान ले सकें। इस ओर खोज होनी चाहिये और उन फसलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोया जाना चाहिये ताकि किसान उनका लाभ उठा सकें।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाये उनका मुख्तसर जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जंगल लगाने का काम होना चाहिए ताकि बाढ़ रुके। इसके लिए भारत सरकार का खासतौर पर ध्यान है। हमारी नई फोरेस्ट पौलिसी बन रही है। पीछे पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि जंगल कटे नहीं, जंगल की जमीन दूसरे काम मैं न आये। उस पर सख्ती से हम अमल कर रहे हैं।

बीमा की जो बात आपने कही, पशुओं का बीमा सारे देश के अन्दर भारत सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसान लोग चाहें तो अपने पशुओं का बीमा कराने का इंतजाम है वह जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से करा सकते हैं, और लोग कराते भी हैं। लेकिन करीब 200 करोड़ पशु हमारे यहां हैं, इनका बीमा सरकार कैसे करायेगी? और सारे पशु इस लायक भी नहीं हैं कि बीमा कराया जाय। लेकिन जहां नुकसान होता है वहां राहत देने के लिये हमारे पास कायदे कानून हैं। जो राहत का काम होता है वह सातवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक जो फार्मूला है उसके अनुसार हम पैसा देते हैं, जैसा कि मेरे साथी बता चुके हैं। स्टेट्स की सहायता होती है, मकान गिर जायें, जानें चली जायें, फसल नष्ट हो जाय इनके लिए क्या-क्या सुविधायें किसानों को मिलती हैं यह कई बार सदन में बताया जा चुका है और उस पर चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बार-बार नुकसान होता है बाढ़ से, वहीं सूखे से भी होता है, जैसा कि पंडित जी कह रहे थे कि यहां हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, उधर उत्तर प्रदेश में सूखा भी साथ-साथ हो रहा है। राजस्थान में भी सूखा है। कहीं वर्षा कम हुई है, कहीं हुई है तो थोड़े इलाके में हुई है जिसकी वजह से कहीं नुकसान हो गया। लेकिन बाकी इलाके में खुश्की पड़ गई। बहुत से इलाके ऐसे हैं कि अगर बाढ़ न आये तो खेती न हो। तो बाढ़ से फायदा भी होता है। इसलिये यह कहना कि बाढ़ से नुकसान ही होता है, यह बात सही नहीं है। बाढ़ से एक फसल अच्छी हो जाती है। ज्यादातर इस सारी समस्या का ताल्लुक इर्रिगेशन मिनिस्ट्री से है। इर्रिगेशन मिनिस्टर यहां मौजूद है, जो कुछ आपने कहा, उन्होने सुना है, नोट किया है, उनकी मिनिस्ट्री उसपर अमल करेगी।

बाढ़ के इंतजाम के लिए राष्ट्रीय आयोग बना, उसकी सिफारिशें आई, उस पर भी हाउस में कई बार चर्चा हो चुकी है। उस को बारबार दोहराना ठीक नहीं लगता। जब छटी पंचवर्षीय योजना बनी, आपको मालूम है कि उससे पहले सारे प्लान्स में

976 करोड़ रु० के करीब कुल खर्चा पिछले 30 बरस में हुआ था, लेकिन जब यह सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की, 1980 में बनी और छठी योजना बनी तो 1045 करोड़ रुपया, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं और मुझे याद है, इस वक्त वह मेरा महकमा नहीं है, पहले का ध्यान है जब मैं इर्रिगेशन मिनिस्ट्री का काम देखता था तो टोटल 5 प्लानों में जितना खर्चा था, उससे ज्यादा इसमें अब खर्च किया गया है। 1045 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में और 1,000 करोड़ से कम पहले 30 बरसों में 5 प्लानों में रखा गया था। इससे आप देख लीजिए कि कितनी जबर्दस्त तवज्जह इस तरफ सरकार दे रही है।

अगला 7वां प्लान बना है, उसमें भी बाढ़ रोकने के लिये, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार का खास ध्यान है। यह बात सरकार मानती है कि अगर हिन्दुस्तान से गरीबी को दूर करना है, लोगों को रोजगार मुहय्या करना है तो उसके लिये सबसे सबसे जरूरी चीज यह होगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाये, एक-एक खेत में पैदावार बढ़ाई जाये, बाढ़ को रोका जाये, सिंचाई का बंदोबस्त किया जाये, सूखे से लोगों को बचाया जाये, अच्छे बीज पैदा किये और दूसरे इन्पुट्स लोगों को दिये जायें। उसमें इर्रिगेशन का मुख्य स्थान है।

जब कहीं बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो हमने जो कायदे कानून बना रखे हैं, उनके मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट्स से पूछते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमसे सम्पर्क करती हैं। आनरेबल मेम्बर्स जो यहां सवाल उठाते हैं, अगर स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने कुछ न किया हो तो हम खुद पूछते हैं, कि क्या तकलीफ है? एक एक कांस्टीटुएंसी के लिए अगर कोई बात यहां कही जाती है तो उसका पता करते हैं। जहां कहीं देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ढील कर रही है, हम पूछताछ करते हैं, मेमोरेंडम मंगाते हैं। कितनी ही बार यह बात आई कि आनरेबल मेम्बर ने यहां सवाल उठाया तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को जगाया और वहां से खबर मंगाई, अपनी टीम भेजी। बाज दफा मेमोरेंडम आये बगैर हम अपनी टीम भेज देते हैं ताकि पता कर लें कि क्या हो रहा है? मैं खुद जाकर भी देख लेता हूं, मेरे साथी भी जाते हैं, सारे मिनिस्टर्स जाते हैं। इमीडिएटली मेमोरेंडम आने के पहले-पहले भी अगर कुछ एडवांस देना पड़े, तो वह हम स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं। हालांकि पहले यह प्रेक्टिस नहीं थी। पहले जब तक मेमोरेंडम नहीं आता था, हम टीम नहीं भेजते थे। टीम की रिपोर्ट आने से पहले पैसा नहीं देते थे।

अब आप देख रहे हैं कि 3 रोज पहले यह बात सामने आती है, आप खुद डिमांड करते हैं कि मैमोरेंडम आने में देर लगेगी, सैंट्रल टीम के जाने में देर लगेगी, उसकी रिपोर्ट प्रासेस करने में देर लगेगी, आप फौरन पैसा दे दीजिये।

अभी मेरे साथी ने बताया कि 5 करोड़ रुपया हमने केरल को फौरन मंजूर करके दिला दिया ताकि काम जारी रहे। टीम अब गई है, उसकी रिपोर्ट आने में महीना 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन वहां काम न रुके, इसलिये फौरन रुपया दे दिया।

इसी तरह त्रिपुरा को 3 करोड़ रुपया दे दिया। अभी तक उसका मैमोरेंडम देखा नहीं, फाइनल नहीं हुआ, बात नहीं हुई,

[राव बीरेन्द्र सिंह]

लेकिन यह मदद फौरन दी। हालांकि छोटी सी स्टेट है, वह राहत का काम तेजी के साथ करे, इसलिए भारत सरकार ने एक दम मदद दी है।

कहीं-कहीं पर, यहां वैस्ट बंगाल वाले बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिये 3,3 बार सैंट्रल टीम इनके यहां भेज चुके हैं। हम कोई इस बात में फर्क नहीं करते कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट वहां है।

आपके यहां 3,3 और 4 4 बार बाढ़ क्यों आती है, थोड़ा पाप कम कीजिये। अभी तक सरकार सातवें फिनांस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक काम कर रही है। अब आठवें फिनांस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। नैचरल कैलेमिटीज के वक्त राहत के काम को किस तरह से अच्छा किया जा सकता है और किस तरह स्टेट्स को ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता है, इस बारे में आनरेबल मेम्बर्स और स्टेट्स की तरफ से जितने भी सजेशंस आए, उन सबको हमने आठवें फिनांस कमीशन के सामने रखा। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के पास उसकी रिपोर्ट आ गई है और सरकार उसपर गौर कर रही है।

राहत के मामले में भारत सरकार बहुत सचेत है। अभी माननीय सदस्यों को शायद खबर भी नहीं मिलती है, उससे पहले हमें खबर मिल जाती है कि कहां क्या हो रहा है। अगर हम प्रेस रिपोर्ट्स देखते हैं, तो मिनिस्ट्री फौरन अपना काम शुरू कर देती है। बारिश से पहले और फसल बोने से पहले हम मीटिंग करते हैं। हम सैटेलाइट की पिक्चर्स का इंटरप्रेटेशन भी करते हैं। ज्योतिषियों से भी पूछ लेते हैं कि आगे क्या हालत है।

(*Interruption*)**

माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, का जो अनुभव है, हम उससे भी फायदा उठाने की कोशिश करते है। जहां तक मुसीबत के समय राहत पहुंचाने का संबंध है, भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है।

(*Interruptions*)**

हम मानिटरिंग की कोशिश करते हैं। अगर कायदे-कानून की बात पूछें तो जब एक बार पैसा फिनांस मिनिस्ट्री से रिलीज हो जाता है, तो वह मानिटरिंग करती है कि कितना खर्च हुआ और उसके बाद इनस्टालमेंट्स में पैसा रिलीज होता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपने दायरा-ए-अख्तियार से बाहर जा कर भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हम अपने अफसरों को भेजते हैं, पूछ-ताछ करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि एम०पीज० को शामिल कर डिस्ट्रिक्टवाइज रिलीफ कमेटीज बनाई जाएं। हम इस बात के लिए भी पैसा देते हैं कि अगर किसी नदी या नाले में रुकावट आ गई है, तो उसकी ड्रेजिंग या डीसिल्टिंग कराई जाए या बांध टूट जाए, तो उसको ठीक कराया जाए। इस तरह हम स्टेट्स के फिनांसिज को आगमैंट करते हैं।

लेकिन काम तो स्टेट गवर्नमेंट के महकमे ही करते हैं। जहां तक पैसा बर्बाद होने के आरोप का ताल्लुक है, अगर पैसा बर्बाद होता है, तो हैल्थ का महकमा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास तो नहीं है। वह पैसा स्टेट का हैल्थ डिपार्टमेंट दवाएं छिड़कने और कीड़े मारने वगैरह के लिए खर्च करता है। चारे का बदोबस्त करना भी स्टेट गवर्नमेंट

** Not recorded.

का काम है। पीने के पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम सौ फीसदी ग्रान्ट देते हैं। अगर बांध टूट गया है, तो उसको मजबूत बनाना है। ये सब काम स्टेट के महकमों ने करने हैं। उसकी मानिटरिंग करना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम नहीं है। वह स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

श्री बी० डी० सिंह : सरकार यह एसेस करती है कि कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए पैसा देती है। कभी कभी उसको देख लेना चाहिए कि काम किस तरह हो रहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसे भी हालात पैदा हुए कि हमने चाहा कि हमारी टीम जाकर यूटिलाइजेशन को देखे। लेकिन कुछ स्टेट्स ने मैं नाम नहीं लूंगा— प्लानिंग कमीशन और फिनांस मिनिस्ट्री की टीम को रिसीव करने से इंकार कर दिया। दो-दो तीन-तीन साल तक हम जाकर उनके एकाउंट्स को नहीं देख पाते हैं और यहां बात करते हैं कि हम सब चीज अपने हाथ में ले लें। जब कोई चीज करते हैं तो आप की तरफ से ही यह एतराज सबसे पहले उठाया जाता है कि स्टेट के मामले में क्यों बेजा दखल दिया जाता है सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ? तो सारी चीजें आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं चाह सकते।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members must ask their legislators in the various States whether the money sanctioned by the Central Government has been fully utilized. That should be monitored. As public men you should monitor it If you do that and satisfy yourself that it has been properly spent, then you can ask for more money.

RAO BIRENDRA SINGH : I hope they will take that suggestion from you.

*(Interruptions)***

It is both advice and instruction.

I would not take more time of the House. I hope hon. Members are satisfied that we do our best within our means We even go to the extent of asking the State Governments to give us assessment of damages district by district, even at the block level, so that there is equitable distribution of the money that we provide to the State Governments and there is full utilisation. But, instead of appreciating our efforts, if you always go on laying the blame at our door and try to save the State Governments, you do not ask them what they are doing, what is wrong with them, then it is not just and it is not charitable.

SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY (Puri) : Heavy floods during the monsoon season is a very serious problem in some parts of the country. Orissa is one such Area, where it is a chronic problem. For the last one century or more, the people of Orissa are confronting it. When Gandhiji was there, he used to look after the relief operations in Orissa, because the situation there is so acute

The average rainfall in Orissa is 47" annually, whereas upto 30th July 1984, we have already got 41". In Kalahandi district the total rainfall on 16th June was 12". In the Daliapale area of Balasore the rainfall on 4th June was 11 to 12". In Kalahandi district the rivers Hathi and Tel have damaged and devastated the Junagadh block and Keising block. The devastation was such that around 15,000 acres of land have lost crop, about 50 to 100 cattle were lost and about 8,000 acres have become sandcast. On account of floods in Suvarnarekha, Baitarani and Buddabalang, the entire Balasore has been affected, causing distress to 6 lakhs of people. I do not

** Not recorded.

[Shri Braja Mohan Mohanty]

know if the Orissa Government has submitted any memorandum or report. My submission is that the Agriculture Ministry should take it up with the State Government of Orissa and send a Study Team to assess the damages and then give financial assistance to the State Government.

Sir, it has been repeatedly discussed here in this House that a permanent set up should be there to scrutinise the damages and to assess the financial assistance that has to be given by the Union Government. Nowadays, the practice is that some memorandum is submitted first, then that is checked up, study group goes and all that and the entire process takes time If a permanent set-up is there, I think it will be a better answer to our problem and the relief assistance can be expeditiously given.

Another thing that I would suggest is that there should be a national guideline for relief. I do not say that the States should be bound by any guideline formulation from here, but I think there can be a formulation under which the States should function As at present the relief provided towards, say, the destruction of a house is very inadequate. I do not know what it is in other States, but in Orissa in comparison with the price level, it is completely inadequate. So, there should be a guideline and a short of permanent structure built up for the purpose. In that regard the Government of India should consult the other States and formulate the guidelines

The third thing that I would urge is that there should be some check on the expenditure or the relief that is being advanced by the Government of India to the State Governments. That is also very much necessary because it is a grant and the Government of India should check up how the money has been spent, whether it has been properly spent and whether it has been equitably distributed or not. So, I would like to know whether the Agriculture Ministry will consider this question.

As a matter of fact, I feel that the State Governments and the Central Government on certain sectors are working at crores purposes. It is not only my opinion but is also a fair assessment of the situation. You know the Flood Control Works are not maintained by some States, but their demand is inflated, Naturally the reasoned demand is not forthcoming. I would place before you how it is being done. The observation of the Editorial of THE HINDU shows how things was moving in this matter. The Editorial is dated 3rd June 1984. It says :

> "On the one side the targeted allocation, for flood control are so low that it will take 20 years to offer a reasonable protection to all flood prone areas in the country. On the other side, there is a tendency of the State Governments to oppose the Central involvement the area. They feel that they could do the investigation, studies and project formulation and the Centre should restrict itself to providing the financial assistance. Meanwhile, with the improper maintenance of irrigation and flood control works and the spill-over of such schemes from plan to plan, because of the weakness of the States in taking up more projects than what they can reasonably execute in each Five-Year period, the flood problem remains as it is."

So my submission is that perhaps it is a very fair assessment of the situation and I would like to know whether the Agriculture Ministure will take the initiative in convening the Agriculture and Irrigation Ministers' Conference to sort out this problem. That is also very much necessary to find out how the existing flood control projects and irrigation projects are being maintained

There is another aspect. In 1978, it was calculated that perhaps 25 million hectares of land was flood-prone areas, I do not know what is the present figure and I do not khow which Ministry pre-

pares it. Perhaps the Agriculture Minitry prepares it. If so, what is the figure ? What is the extent of land that is drought-prone in the year 1984 ? That is to be seen. My submission would be that these are the matters he should very easily short out in a Conference of the State Agriculture Ministers under the Chairmanship of the Agriculture Minister of the Union Government and all the Irrigation Ministers of the country headed by the Irrigation Ministers of the Union Government.

I would also point out certain matters. Here I am quoting *National Herald* as follows :

"Obviously, the States use the floods as an excuse to seek more and more funds from the Central Government Apparently they are unable to meet their 25 percent share, as stipulated by the Seventh Finance Commission and therefore, they inflate their demands."

This is also a matter which needs to be sorted out in the National Conference and there should be national cooperation and national approach to sort out this problem This a serious problem. As a matter of fact, although the Irrigation Ministry handles water part of it, yet it is the total responsibility of the Agriculture Minister to see that the production in the country goes up.

Another aspect is about some irrigation projects. The problem is how to divert excess water to the drought prone areas. There are certain projects like Garland canal and National Water Grid to divert water to be drought prone areas. So, this problem has also to be sorted out in National Conference. As a matter of fact, it is being reported that on account of the non-corporation of some States, these projects are not being speeded up But it is a big problem and there should be a total answer for it and it cannot be answered in a sporadic way or in a partial way. In West Bengal it was stated that the flood ravage was on account of the negligence of the State Government. I do not want to say anything personally, but I will quote here the press report from the *Financial Express* dated 2nd July 1984 :

"The blame for the flood ravages, therefore, can fall only on the State administration at least for one reason sufficient arrangements could have been made well in advance of the calamity, but this was not done. As a matter of fact, even DVC releases excess water only after warning the State authorities that it is going to do so in the next 24 or 36 hours. Why the State Government should not prepare itself for such floods in view of the rains and DVC release of water still remains a mystery."

My submission would be that the Ministry of Agriculture should throw some light on this mystery What are the difficulties of the State Government ?

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has to reply. It is for the Minister to reply.

SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY : My submission would be that the Agriculture Ministry must throw light on this and it should send a note to the Irrigation Ministry to check up under which circumstances the excess water was released from the DVC and when the notice was given and what steps the West Bengal Government has taken and whether these measures were adequate to meet the situation.

(*Interruptions*)**

SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY : It is not my version. It is in this paper which I am reading.

(*Interruptions*)**

MR DEPUTY SPEAKER : It is all right, he is saying this. It is for the

** Not recorded.

[Mr. Deputy Speaker]

Minister to reply. If it is relevant he will reply if it is not relevant he will not reply. Why do you worry ?

(Interruptions)

SHRI BRAJA MOHAN MOHANTY : The hon. Minister may please reply.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER : He has referred to it. It is for the Minister now to reply.

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY : My submission is that this may please be got checked up through the Ministry of Irrigation so that such a negligence is not repeated. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY SPEAKER : Interruptions are not to be recorded.

*(Interruptions)***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : The hon. Member has made some good suggestions. We have noted them, particularly the suggestion of National Conference to discuss the totality of all this and to adopt the strategy. Another thing which he suggested is about the permanent set-up for assessment of damages and other things.

The hon. Member said, the damage caused in Orissa is much more This year it has happened in nearly thirteen States. Flood has caused damage to life and property in nearly thirteen States. Last year Orissa got maximum amout from the Government of India as relief. It is nearly more than than their Budget. The State Government or the Member should not have been any grouse about the relief given to that States.

The hon. Member has mentioned about the Central Team. Guidlines are issued by the Government of India to the Central Team and according they are following it not only in one State but it is being followed in all the States. Norms are also fixed for the relief which is given to the States.

Regarding the suggestions made by the hon. Member which pertain to the Irrigation Ministry, I can assure the hon. Member that I would Pass it on to the Irrigation Ministry and they will look into it.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसको मैंने देखा है। आज शुरू में ही कालिंग एटेन्शन की जो स्थिति इस सदन में हुई है, दो मंत्रालयों के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, फिर भी वे इस सदन को न कोई विश्वास दिला पा रहे हैं और न जवाब दे पा रहे हैं। यह स्थिति ऐसी है जैसे इन्द्र और इन्दिरा जी के बीच में आज इस मुल्क की जनता तबाह हो रही है, उसी तरह से दोनों मंत्रालयों के बीच···

SHRI RAM PYARE PANIKA : I am on a point of order. Please see Page 171 :

> "There shall be no debate on such statement at the time ..."

MR. DEPUTY SPEAKER : I have myself read the rule.

SHRI RAM PYARE PANIKA : After all we must abide by the rules.

MR. DEPUTY SPEAKER : I uphold the point of order. Shri Jagpal Singh may please adhere to the rules.

SHRI RAM PYARE PANIKA : Thank you.

** Not recorded.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए क्या अलग से एक महकमा नहीं बनाना चाहिए। यह स्थिति आज इस सदन में आई है कि न तो इर्रिगेशन मिनिस्टर जवाब दे पा रहे हैं और न एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसलिए मैं यह मांग करता हूं भारत सरकार से कि यह मामला कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है और हर साल लाखों, करोड़ों लोग इस बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, कृषि हमारी तबाह हो जाती है और आप का जो राहत कार्य है, वह प्रदेशों को तब पहुंचता जब लोग तबाह हो जाते हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। पूरे साल सर्दी, गर्मी सरकार चुप बैठी रहती है और फ्लड्स को रोकने का काम न प्रदेश सरकार करती है और न आप की केन्द्रीय सरकार करती है और हमारी पंचवर्षीय योजना बनाने वाले लोग क्या करते हैं? जो पानी हमारे लिए वरदान होना चाहिए था, वह अभिशाप बन कर रह गया है। जिस पानी से हमारी खेती हरी-भरी होनी चाहिए थी, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, अनाज वह का प्रोडक्शन बाढ़ की वजह से कम हो जाता है और पानी तबाही पैदा कर देता है इस मुल्क के अन्दर। उसी पानी की वजह से आप की खेती उजड़ जाती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बाढ़ के मामले पर क्या कोई राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के विचाराधीन है, जिसमें भारत सरकार पूर्ण जिम्मेवारी लेकर बाढ़ को रोकने का काम करे और पूरे देश की नदियों और मुहानों से जो पहाड़ से पानी निकल कर आता है, उस पानी को रोकने के लिए कोई योजना आप अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वही स्थिति होगी जो आज इस सदन में हुई है कि न आप जवाब दे पा रहे हैं और न इर्रिगेशन मिनिस्टर जवाब दे पा रहे हैं। बहरहाल इसके जो कारण हैं, उनके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिये।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक योजना डा० दस्तूर की जो पूरे देश के अखबारों और मेगजीन में आई थी। डा० दस्तूर ने इस बाढ़ पर एक खोज की थी और उन्होंने कहा है कि इस देश के लिए यह पानी सबसे बड़ा अभिशाप है और उस पानी को कैसे कंट्रोल किया जाय। जम्मू व कश्मीर और पाकिस्तान के बार्डर से ले कर बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर भारत के हिमालय और शिवालिक श्रेणियों से जितनी नदियां निकलती हैं, उनके पानी को रोकने का जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे और उस पानी को इकट्ठा करने का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक यह बाढ़ नहीं रुक सकती है। जब तक आप इस तरह की कोई परियोजना नहीं बनाएंगे या डैम नहीं बनाएंगे तब तक आप बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं। राहत कार्य आप चाहे जितने कर लें, उनसे काम चलने वाला है क्योंकि बाढ़ से जानवर, इंसान, खेती, मैदान और खेत सब तबाह हो जाते है। यह सबसे अहम मामला है क्योंकि अगर हम पानी को बरसात के दिनों में कंट्रोल कर लेते हैं, तो उस पानी से अनाज का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, हमारी बिजली बढ़ सकती है, हमारे इनर्जी प्लांट्स को और ज्यादा बिजली मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्रीज को बिजली मिल सकती है। यह पानी बरसात के दिनों में बरबाद चला जाता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर लोगों को तबाह करता है। लोगों को तबाह करता हुआ यह पानी बंगाल की खाड़ी में मिल

[श्री जगपाल सिंह]

जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बरसात के पानी को रोकने के लिए कोई योजना भारत सरकार बना रही है। हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों मे जो नदियां निकलती हैं उनके मुहानों को बंद करो और हिमालय के अन्दर आपको इस तरह की जगहें मिलेंगीं, जहां पर थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च करके आप बरसात के पानी को रोक कर उस पानी को बंगाल की खाड़ी तक सही ढंग से जाने और रोकने का काम कर सकते हैं। आपके पास जो फालतू पानी बरसात का होगा, उस पानी को आप उन प्रदेशों को दे सकते हैं, जिन प्रदेशों में खेती सूख जाती है। बरसात के बाद वह इकट्ठा किया हुआ पानी उन प्रदेशों को दिया जा सकता है। उस पानी से आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इस तरह से देश का विकास हो सकता है। आप का जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का नीति प्रारूप है, उस को हमने देखा है और उसमें कोई योजना इस पानी को रोकने के लिए नही है और इसके लिए जो आप पैसा रखने जा रहे हैं, यह बिलकुल ऐसा है जैसे कि आंसू पोंछने का काम आपने किया हो। पानी इस मुल्क की बेकबोन है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और अगर इसको आप ने बरसात के दिनों में कंट्रोल कर लिया, तो दुनिया के नक्शे पर हमारा मुल्क बहुत ऊपर आ जाएगा और फिर न हम खेती में पिछड़े हुए होंगे और न उद्योग धंधों में पिछड़े रहेंगे।

मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं जानता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश में हर साल एक अरब रु० की संपत्ति बरसात से तबाह हो जाती है। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन इन योजनाओं के पीछे जो अमरीकंस और इम्पीरियलिस्ट पावर्स का दखल है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : समय का भी ध्यान रखिये। समय भी कोई कीमत रखता है।

श्री जगपाल सिंह : उसकी भी कीमत है लेकिन इससे ज्यादा मुल्क में क्या और किसी चीज की हो सकती है। जब आपकी कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोल रहे थे, तब आप ने एक बार भी नहीं कहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन मामलों पर आपके पास सोचने का समय नहीं है। इन मामलों पर यदि हम अपने कोई विचार या सुझाव हाउस के सामने रखते हैं तो वह आपको समय की बर्बादी दिखाई देता है। बाढ़ के मामले पर सोचने-विचार का आपके पास समय नहीं है, पानी का उपयोग करने का आपके पास समय नहीं है। इनके महत्व को आप समझते नहीं हैं। आप तो बस इस मुल्क को तबाह करने पर लगे हुए हैं। आप मुल्क को तबाह कर रहे है, करिये। आज इसके कारण देश के किसान तबाह हैं, वे लोग तबाह हैं जो रोज-ब-रोज अपने खाने-पीने के लिए कमाई करते हैं। वे अपनी रोजी-रोटी काट कर हर साल अपनी झोंपड़ी खड़ी करते है और हर साल बाढ़ में वह जाती है। वे अपने यहां मिट्टी के बर्तन रखते हैं, वे बाढ़ में बह जाते हैं। ये लोग जानते हैं कि बाढ़ से बर्बादी क्या होती है।

अब मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या भारत सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई अलग से मंत्रालय बनाने पर विचार कर रही है। आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

से जो स्थिति यहां पैदा हुई कि बाढ़ नियंत्रण के ऊपर प्रश्नों के उत्तर ही ठीक से नहीं आये उससे बाढ़ नियंत्रण पर अलग से मंत्रालय बनना आवश्यक प्रतीत होता है। वह मंत्रालय बाढ़ नियंत्रण के काम को देखे। इसे आप प्रदेशों पर न छोड़े, प्रदेश सरकारें इरिगेशन का काम करें। क्या आप इस मंत्रालय को बनाने पर विचार करेंगे ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शिवालिक और हिमालय की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं क्या आप उनको मुहानों पर रोक कर बंगाल की खाड़ी में जाया जा रहे पानी को रोकने का प्रयास करेंगे ?

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, we started the Calling Attention at 12.20 hrs I am not saying that the members are taking more time. This is to be considered by all the party leaders in a meeting under the Chairmanship of the Speaker and some decision taken. We have already taken 1 hour and 40 minutes. We do not know when it will end. Therefore, this has to be considered by the leaders of all parties under the Chairmanship of the Speaker. This is my suggestion from the Chair.

I am only suggesting it to all the party leaders.

SHRI G.M. BANATWALLA : It is a suggestion for the next Lok Sabha now.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is left to you Let at least the next Lok Sabha come to a decision.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : My hon. colleague has already explained to the hon. Members that during all these 30 years from the First Plan to the Fifth Plan period, only Rs. 976 crores were allotted for the flood control measures whereas in the Sixth Plan, an amount of Rs 1,045 crores is allotted for the flood control measures.

A number of measures are taken for flood control. The Government of India appointed the Rashtriya Barh Ayog in 1966. They submitted a report also and the Inter-ministerial Committee examined that report. The suggestions are sent to all the State Governments with the guidelines from the Ministry. Now, the State Governments will implement the suggestions for the control of floods.

The hon. Member was particularly keen to know about having a separate Ministry to control the floods. At present, it is dealt with by the Irrigation Ministry. I do not think that there is any necessity to create a separate Ministry for this purpose because the Irrigation Ministry can look after the irrigation as well as the flood control.

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir. he cannot say whether a Ministry is needed or not. Let the matter go to the Prime Minister and she will decide.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister can express his own view.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : When I reply, I reply on behalf of the Government of India and not in my individual capacity. So, whatever I have expressed here is not my opinion But it is the opinion of the Government of India.

श्री जगपाल सिंह : इरीगेशन मंत्रालय के बारे में जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब देने में आप असमर्थ हैं। लेकिन उनकी तरफ से यह गारंटी ले रहे हैं कि वह मंत्रालय दोनों को बहुत अच्छी तरह देख रहा है। यह आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि दोनों काम देखने के लिए मंत्रालय है और आपने जो कालिंग अटेंशन रिलीफ मेजर के लिए दिया है उसका जवाब हम दे रहे हैं। अगर वह फ्लड कंट्रोल के लिए होता तो

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

इर्रीगेशन मिनिस्टर जवाब देते। आपने कालिंग अटेंशन को जिस तरह से फ्रेम किया है, उसमें वे आते ही नहीं हैं। आपके जो सुझाव है, उनको नोट किया गया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के अंतर्गत ही अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अपोजीशन पार्टी की ओर से पाइंट रेज किया गया है। वास्तव में जब फ्लड पर चर्चा हो रही हो तो एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन मिनिस्टरों को उपस्थित होना चाहिए।

उनको जवाब भी देना चाहिए। तभी सही जवाब आ सकता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि चेतावनी न देने के कारण बाढ़ का जो प्रकोप बढ़ जाता है, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। राजस्थान में लूनी नदी में बाढ़ आई तो चेतावनी के अभाव में बहुत नुकसान हुआ। बहुत से मवेशी मर गए।

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*].

बहुत से मवेशी मारे गए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने चेतावनी देने के बारे में क्या व्यवस्थाएं की हैं। इनसैट वन बी के जरिये क्या व्यवस्थाएं की गई हैं; आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें और इतना नुकसान न हो।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि बताया गया है कि फारेस्ट्री के लिए स्ट्रांग स्टेप्स उठाने जा रहे हैं और 1455 करोड रुपया रखा गया है तो इस बारे में अभी तक आपने क्या किया है। जितनी भी बाढ़ है वह हिमालय और सदर्न हिमालयन एरियाज में जो वनों को नष्ट किया गया है, उसकी वजह से आ रही हैं। इस बारे में आपने फारेस्ट्री के लिए पिछले तीन चार वर्षों में क्या कदम उठाए हैं।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ की वजह से जब अकाल की स्थिति पैदा होती है तो उसपर जल्दी एक्शन लेने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। यह आपने व्यवस्था कर दी है एडवांस में मदद देने की, यह अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो स्टडी टीम जाती है और वह अपनी रिपोर्ट देती है, उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में दो-तीन महीने लगा दिये जाते हैं। मेरा कहना है कि 15 दिन के अंदर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। प्लांनिग डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाई पावर कमेटी को 15 दिन के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। यह कार्ययुद्ध स्तर पर करना चाहिए क्योंकि बाढ़ और सूखे का मुकाबला करना है। इन आफिशियल्स को पूरी तरह से समय देकर 15 दिन के अन्दर इसके बारे में निर्णय ले लें और स्वीकृति भेज दें जिससे समय पर रिलिफ पहुंच जाएं। मैमोरेन्डम प्रस्तुत होने पर दस दिन के अंदर स्टडी टीम मौके पर चली जानी चाहिए। स्टडी टीम जिलाधीश महोदय और दूसरे अधिकारियों से तो मिलती है लेकिन एम०पीज और एम० एल० एज या जो जनता के दूसरे प्रतिनिधि हैं, उनसे नहीं मिलती है। इसलिए, राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह एम०पीज और एम० एल० एज को भी मिलेगी और उनसे जानकारी प्राप्त करेगी। अधिकारियों के विचार तो बिलकुल ब्यूरोक्रेटिक तरीके के होते हैं। वह सही नहीं होते हैं जिसकी

वजह से सही मदद नहीं मिल पाती है। फ्लड में मरने पर 1500 रुपये की मदद दी जाती है। उसके नार्म्स को चेंज करने की आवश्यकता है। कंपलीट मकान नष्ट हो जाता है तो 500 रुपए की मदद मिलती है और पार्शियली नष्ट हो जाए तो 200 रु० से ज्यादा मदद नहीं मिलती है। ये नार्म्स बीस साल पुराने हैं, इनमें परिवर्तन करना चाहिए। पिछले दस-पन्द्रह सालों में पांच गुनी मंहगाई बढ़ गई है। इसलिए जो मदद दी जाती है, उससे लोगों को संतोष नहीं होता है। वह कहते हैं कि आप क्या मदद दे रहे हैं ? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिसका मकान नष्ट हो जाए उसके लिए सीमा करीब चार हजार रु० तक बढ़ा दी जानी चाहिए और जिसका पार्शियली नष्ट हो उसके लिए पांच सौ रुपए की व्यवस्था करनी चाहिए। रेलवे एक्सीडेंट होता है तो एक लाख रु० की मदद दी जाती है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में दस हजार रु० की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के मरने और नुकसान होने पर बिल्कुल भी मदद नहीं दी जाती जबकि हजारों रुपए के पशु मर जाते हैं। बहुत से लोगों की रोजी तो सिर्फ पशुओं पर ही निर्भर होती है। इसलिए इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। खेत के बारे में आप एक एकड़ के लिए कहीं पर तीन सौ रुपए और कहीं पर चार चार सौ रु० देते हैं। खेत तो इतना बरबाद हो जाता है कि उसको ठीक करने के लिए जो राशि आप देते हैं, अगर दस गुना भी खर्च करें तो भी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। खेत के लासेज का अगर मालूम कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। किसान को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी जमीन का जो कटाव हो गया है, उसकी वास्तव में सही रूप से मदद की जा रही है।

इन शब्दों के साथ, मैंने जो सुझाव आप के सामने रखे हैं, मैं समझता हूं वे आपके मंत्रालय से सीधे संबंधित हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबद्ध हैं तथा मैंने कोई भी इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया है जो इरीगेशन या किसी और विभाग से संबंधित हो क्योंकि आप उनका उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे, मैं इस प्रश्नों संबंध में आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभापति जी, माननीय सदस्य ने बड़े स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं और मैं भी उनका उत्तर स्पेसिफिक ढंग से देना चाहता हूं। सबसे पहले वार्निंग के बारे में पूछा गया। जितने हमारे यहां इंटर-स्टेट रिवर्स हैं, जो दो राज्यों में से होकर बहते हैं, उनको वार्निंग का काम गवर्नमेंट आफ इंडिया करती है। छठी पचवर्षीय योजना में इसको मजबूत करने के लिए तथा मौडर्नाइज करने के लिए काफी पैसा दिया गया है और हम उसे कर रहे हैं। जहां तक किसी एक राज्य से होकर बहने वाली नदियों का संबंध है, वहां स्टेट गवर्नमेंट में खुद एक डिपार्टमेंट होता है जो वार्निंग देने का काम करता है। मैं यहां माननीय सदस्य से सहमत हूं कि वार्निंग देने का कार्य पहले से होना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वार्निंग के नेटवर्क को बढ़ाया है, उसको मौडर्नाइज किया है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने फौरेस्ट के संबंध में कही, उसके लिए कितनी धन-राशि दी गई है। यह कालिंग अटेंशन फ्लड के बारे में था और इसीलिए फारेस्ट के

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

लिए कितनी राशि दी गई, उसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फौरेस्टस को बढ़ाने के लिए काफी योजनाएं बनाई गई हैं तथा सोश्यल फौरेस्ट्री के लिए भी काफी धनराशि दी गई है। फौरेस्ट्स न कटें, इस के लिए फोरेस्ट्स कंजर्वेशन एक्ट भी बनाया गया है तथा एक नई फौरेस्ट्स पौलिसी भी बनाई जा रही है। उसमें इसी मुख्य बात को ध्यान में रखा गया है कि हमारे फौरेस्ट्स बढ़ें, घटे नहीं।

इसके बाद माननीय सदस्य ने कहा कि जो टीम जाती है, वह वहां एम०पीज और एम० एल० एज से नहीं मिलती है तथा जिला अधिकारियों से मिलकर वापस आ जाती है। लेकिन हम तो स्टेट गवनमेंट को लिख देते हैं और कहते हैं कि उस क्षेत्र के विधान सभा सदस्य तथा संसद् सदस्य दोनों को सूचना दे दी जाए। यह बात ठीक है कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ साथ वहां के असेम्बली मेम्बर को भी इंफार्मेशन दी जानी चाहिए। लेकिन वह काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम उसको कहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को वहां के संबंधित विधान सभा सदस्य को सूचित कर देना चाहिए।

यहां एक बात यह कही गई कि दस दिन में टीम भेजी जानी चाहिए और पन्द्रह दिनों में उनका निर्णय करके स्वीकृति दी जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास जैसे ही मेमोरेण्डम आता है, उसके बाद जल्दी से जल्दी हम टीम को भेजते हैं और जैसे ही टीम वापस आती है, जल्दी से जल्दी हम मीटिंग बुलाकर पैसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वहां दिक्कत होती है, जसके पीछे दो ही कारण होते हैं। जहां तक मार्जिन मनी का प्रश्न है हर स्टेट के पास मार्जिन मनी होती है। जब टीम वहां जाकर अपनी डैमेज रिपोर्ट संबंधी मैमोरेण्डम हमें भिजवाती है तो टीम के वहां जाने, असेस करने और हमारे पैसा देने के बीच के समय में हर स्टेट मार्जिन मनी का उपयोग कर सकती है, मार्जिन मनी से रिलीफ ले सकती है। जब मार्जिन मनी खत्म हो जाता है तो हम वेज ऐंड मीन्स एडवांस देते हैं। दोनों चीजें देने से मैं समझता हूं स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

तीसरी बात कही गई कि हमें नोर्म्स को बदलना चाहिए। खास कर जब किसी इंसान की डैथ हो जाती है, उसके खेत, पशु आदि को नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कोई कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता, हम तो सिर्फ रिलीफ देते हैं और रिलीफ के नार्म्स सातवें वित्त आयोग के द्वारा फिक्स किए गए थे। रिलीफ हम हम उसके मुताबिक देते हैं। अब आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है और वह सरकार देख रही है। तो जो नार्म्स बनेंगे वह आठवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक बनेंगे। और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने और दूसरे लोगों ने आठवें वित्त आयोग के सामने ये बातें रखी होंगी। तो उसकी सिफारिशों के मुताबिक नए नोर्म्स बनेंगे और उसके मुताबिक रिलीफ दी जायगी।